उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

विविध वाद संख्या– 59/2010
टाटा स्टील लि0 बनाम रामेश्वर साव

27-12-13

–: आदेश :–

प्रथम पक्ष का कहना है कि निम्नांकित भूमि पर प्रतिवादी रामेश्वर साव, पिता खेदु साव अवैध रूप से दावा कर रहे हैं।

अंचल	मौजा	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा
माण्डू	बारूघुटु	48	381	2.15 ए0
			163	0.20 ए0
			कुल	2.35 ए0

टाटा स्टील कम्पनी के द्वारा यह कहा गया है कि उपरोक्त खाता संख्या–48 की भूमि गैरमजरूआ प्रकृति की है, जो राज्य सरकार में निहित है। उन्हें उपरोक्त जमीन में खनन कार्य करने हेतु एम0एम0आर0डी0 अधिनियम 27 (i) (d) के अन्तर्गत अनुमति मिली हुई है। यह अनुमति कुल 2054.70 एकड गैरमजरूआ भूमि के लिए है। अनुमति कम्पनी को पत्रांक 2399 दिनांक 31.08.1976 और 2010 दिनांक 22.07.1977 के द्वारा प्रदान की गई।

प्रतिवादी रामेश्वर साव यह दावा करते हैं कि उपरोक्त विवादित भूमि खाता नं0–48, खेसरा संख्या–381, 163 कुल रकबा–2.15 एकड़ भूमि उनके पिता खेदु महतो को हुकुमनामा के जरिये प्राप्त हुई है। कम्पनी का यह भी कहना है कि हुकुमनामा की सम्पुष्टि जमींदार द्वारा दायर रिटर्न से नहीं होता है और न ही प्रतिवादी इसका कोई दस्तावेज दिखाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि हुकुमनामा जाली है।

अंचल अधिकारी, माण्डू ने अपने पत्रांक 37 दिनांक 08.01.2013 के द्वारा यह प्रतिवेदन भेजा है कि मौजा–बारूघुटु के पंजी–II, वोल्यूम नं0–1, पेज नं0–119 में खाता 48, रकबा–2.35 एकड़ की जमाबंदी खेदु साव के नाम से चल रहा है और 2007–08 तक रसीद कटा है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि उपरोक्त जमीन को अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के कैम्प कोर्ट में विविध वाद संख्या–07/2007–08 में रैयती मान्यता स्वीकृत किया गया है। परन्तु अंचल अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जमाबंदी किस आधार पर कायम हुई।

गैरमजरूआ भूमि के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 914 दिनांक 09.12.1998 के द्वारा यह स्पष्ट निदेश निर्गत किया गया है कि जो जमाबंदी बिल्कुल अवैध और बिना आधार के है, उसे रद्द किया जा सकता है और संबंधित अंचल अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान मामले में प्रतिवादी के पिता द्वारा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त बताया गया है, परन्तु उसका कोई अनुपूरक

10

साक्ष्य जैसे–जमींदारी रिटर्न, बुझारत पंजी की प्रति, जमींदारी रसीद वगैरह प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि हुकुमनामा द्वारा प्राप्त जमीन वैधानिक नहीं है।

भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 17 में भी यह प्रावधान है कि जिस भूमि का मूल्य 100 रूपये से अधिक है, उसका हस्तानान्तरण निबंधित पट्टा के माध्यम से होना अनिवार्य है, अन्यथा उसके बिना किये गये हस्तानान्तरण अवैध माना जायेगा। वर्तमान मामले में हुकुमनामा निबंधित नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह भूमि हड़पने के उद्देश्य में बनाया गया है।

वाद में प्रस्तुत तथ्य, दस्तावेजों एवं प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित बहस के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मौजा–बारूघुटु के खाता–48 के अन्तर्गत 2.35 एकड़ भूमि का खेदु साव के नाम से कायम जमाबंदी अवैध और गलत है। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा जो रैयती मान्यता दी गई है, उसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसलिए वर्तमान न्यायालय द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अतः प्रथम पक्ष के द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से कुल 2.35 एकड़ भूमि के संदर्भ में स्वीकृत किया जाता है और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ को यह निदेश दिया जाता है कि मौजा–बारूघुटु के पंजी–II के खण्ड–I के पृष्ठ–119 पर खेदु साव के नाम जमाबंदी को खारिज करें, क्योंकि कायम जमाबंदी अवैध और अनधिकृत है। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग द्वारा वाद संख्या–7/2007–08 में प्रदत्त रैयती मान्यता को भी निरस्त किया जाता है, क्योंकि उसका कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

आदेश की प्रति अपर समाहर्त्ता को भेजें और 15 दिनों के अन्दर जमाबंदी रद्द करने का अनुपालन प्रतिवेदन मांगे, उसके बाद इस अभिलेख की कार्यवाही बन्द होगी।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।